अधोहस्ताक्षरी को सरकार के इस निर्णय को सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्रमिक संघों/संगठनों सहित उद्यमों के प्रबंधन वर्गों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों के साथ, मजदूरी वार्ता (जो सामान्य आधार पर 1.1.97 से अपेक्षित है) का अगला दौर निम्नलिखित शर्तों पर प्रारंभ किया जा सकता है।

(i) संबद्ध उद्यमों द्वारा संसाधन/लाभ प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रबंधन न्यायमुर्ति मोहन समिति में न आने वाले कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की वार्ता के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) मजदूरी बढाने के लिए सरकार द्वारा कोई बजट संबंधी सहायता नहीं दी जाएगी।

(iii) ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो एकाधिकार या लगभग एकाधिकार वाले हैं या प्रवर्तित कीमत ढांचा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, के लिए यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वार्ता के बाद मजदूरी में हुई किसी बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप उनके समान व सेवाओं की प्रवर्तित कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(iv) मजदूरी संशोधन इस शर्त पर होगा कि उत्पाद के प्रत्येक प्रत्यक्ष यूनिट के श्रम लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी पूरे उद्योग मानदंड को ध्यान में रखते हुए ऐसी यूनिटें अपवाद हो सकती हैं जो पहले से ही इष्टतम क्षमता में कार्यरत थीं ऐसी स्थित में प्रशासनिक विभाग लोक उद्यम विभाग से परामर्श ले सकता है।

2. जहां तक बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत रूग्ण इकाईयों का सवाल है ऐसे उद्यमों के कर्मचारियों को तब तक वेतन में किसी संशोधन की अनुमति नहीं होगी जब तक कि बी.आई.एफ.आर. ऐसे उद्यमों की ऐसी पुनवर्तन योजना का अनुमोदन नहीं करता है जिसमें वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अतिरिक्त व्यय हेतु प्रावधान बनाए गए हों।

3. लोक उद्यम बातचीत से तय किए गए मजदूरी वेतन का अनुपालन लोक उद्यम के विभागों और प्रशासनिक मंत्रालयें की इस पुष्टि के बाद कर सकते हैं कि संशोधन अनुमोदित पैरामीटरों में है तथा यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि बातचीत से तय किया गया ऐसा वेतन लोक उद्यमों के अधिकारियों और असंगठित पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के विरोध में न आता हो।

4. न्यायमूर्ति मोहन समिति जिसने अधिकारियों व असंगठित पर्यवेक्षकों के लिए वेतन पकेज और अनुलब्धियों हेतु अपनी सिफारिशें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं, ने 5 वर्ष के स्थान पर (जैसा कि व्यवहार में है) प्रत्येक 10 वर्षों में वेतन संशोधन करने की सिफारिश की है। इस संबंध में सरकार द्वारा न्यायमुर्ति मोहन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने पर कामगारों के वेतनों में भी प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार संशोधन किया जाना चाहिए ताकि एकरूपता बनी रहे। इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाए।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वेतन समझोता उपयुक्त पैरामीटरों के अनुसार बातचीत द्वारा तय किया जाना चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालयोंधविभागों से अनुरोध है कि वे इस विभाग को सुचित करते हुए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उक्त दिशा मे उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

(लो.उ.वि. का तारीख 14 जनवरी 1999 का कार्यालय ज्ञापन सं. 2(11)/96–लो.उ.वि. (डब्ल्यू सी)